न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 09 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 फतेहसिंह पुत्र पनेसिंह जाति रावत निवासी खोडिया तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।		1 शांतिदेवी पत्नि बाबुसिंह जाति रावत निवासी खोडिया तहसील सोजत जिला पाली राज.। 2 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

01. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
02. अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांकः 00.00.2022** (27.04)

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खोडिया तहसील सोजत में ख0नं0 718 रकबा 0.1100 है0 किस्म चा.प्र. की कृषि भूमि प्रार्थी के नाम की हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। प्रार्थी के उक्त खसरात की कृषि भूमि के पास में ही अप्रार्थी शान्तिदेवी की कृषि भूमि खसरा संख्या 719 रकबा 0.1200 हैक्टर किस्म चा.प्र. की स्थित है, अप्रार्थी सं. 1 हमेशा प्रार्थी की कृषि भूमि को अवैध व नाजायज तरीके से अवैध अतिकमण करने पर आमादा व उतारू हैं। इस कारण प्रार्थी ने तहसीलदार सोजत के समक्ष अपनी कृषि भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दिनांक 10.12.2021 को प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी व भू निरीक्षक ने उक्त प्रार्थी की कृषि भूमि को जरिये पत्थर गढ़ढी के आदेश करवाने की बात अपनी रिपोर्ट में बताई। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि का मौके पर नाप चौक व सीमांकन के जरिये माठे कायम नहीं की गई, जिस कारण अप्रार्थीया प्रार्थी की भूमि को अवैध रूप से हड़प करने के नियत से आये दिन प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहती है व प्रार्थी को काश्त करने में दखलन्दाजी पैदा कर रही है। इसलिए माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर नाप चौक नहीं होने से उक्त कृषि भूमि का सही सीमांकन पत्थर गढ़ढी के जरिये मुटाम लगवाये जाकर करवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने में सहमति व्यक्त की तथा सहमति स्वरूप आदेशिका पर अपने स्वयं के अगुष्ट निशान अंकित किये।

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अप्रार्थी संख्या 02 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि पैरा 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा खोडिया मे स्थित होना स्वीकार किया है। पैरा 2 में वर्णित तथ्यों को प्रार्थी स्वय सिद्ध करना व पैरा 3, 4, 5 कानूनी होना अंकित किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत सुनी गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र प्रार्थी की सरहद मौजा खोडिया तहसील–सोजत में प्रार्थी की स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 718 रकबा 0.1100 हैक्टर किस्म चा.प्र. का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सिमांकन करवाकर पत्थर गढढी के जरिये मुटाम कायम करवाना चाहता है। जिसमें अप्रार्थीगण ने भी सहमति जाहिर की है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य स्वीकार किया जाना उभय पक्षों की कृषि भूमि का उभय पक्षों/पक्षकारान को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u>:–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा खोडिया तहसील सोजत में स्थित खसरा संख्या 718 रकबा 0.1100 हैक्टर किस्म चा.प्र. कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु तहसीलदार सोजत आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 27-4-2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत